न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 132 / 2017 निर्णय दिनांक :–17.09.19

उनवानी दावा :

1.सुरता देवी पत्नि श्री छोटूलाल जाति जाट निवासी भोणोली तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)

– प्रार्थीगण –

बनाम

1.राज्य सरकार जरिए तहसीलदार दूनी जिला टोंक (राज.)

– प्रतिपक्षीगण –

उपस्थिति :–
श्री बद्री प्रसाद विजयवर्गीय **तहसीलदार दूनी**
अधिवक्ता प्रार्थीया **अप्रार्थी संख्या 1**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए.

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया की खातेदारी एवं कब्जे–काश्त की आराजी खाता संख्या 423 ख0नं0 476 रकबा 1.76 है0 वाके ग्राम बडोली पटवार क्षैत्र बडोली तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थिया की उक्त आराजी भूमि में आने जाने हेतु कोई रास्ता नही है। प्रार्थिया अपनी उक्त खातेदारी की आराजी भूमि में अपने पूर्वजों के समय में ही खसरा नम्बर 477 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम बडोली तहसील दूनी में स्थित जो राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है में से होकर आते जाते रहे है तथा वर्तमान मे भी प्रार्थिया उक्त सिवायचक भूमि में से होकर अपने खातेदारी के खेत में आती जाती है लेकिन उक्त आरजीयात की नक्शा सीट में राजस्व दस्तावेजों में रास्ता नही चाहती है। प्रार्थिया नियमानुसार राजकोष में जमा करवाने हेतु तैयार है। प्रार्थिया की खातेदारी की उक्त भूमि में आने जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता है इसलिए प्रार्थिया को आराजी भूमि खसरा नम्बर 477 में से नया रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। प्रार्थिया के पास उक्त रास्ते के अलावा अपने कृषि साधन को लाने, ले जाने काश्तकारी करने व आने जाने हेतु कोई रास्ता नही है। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थिया को अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 476 रकबा 1.17 हे0 वाके ग्राम बडोली तहसील दूनी में आने जाने व काश्तकारी करने एवं कृषि उपकरण लाने व ले जाने हेतु ग्राम बडोली तहसील दूनी में स्थित खसरा नम्बर 477 रकबा 0.20 है0 सिवायचक में से रास्ता दिलाया जाये।

अप्रार्थी तहसीलदार की तलबी जारी की गई। तहसीलदार अनुसार ग्राम बड़ोली में मौके पर खातेदार सुरता दवी पत्नी छोटूलाल जाट निवासी भाणोली की आराजी ख. नं. ख. नं. 476 रकबा 1.17 है0 खातेदारी दर्जग रिकॉर्ड है। ग्राम बड़ाली से ग्राम बाजोली ग्रेवल रास्ता ख. नं. 478 रकबा 0ण्32 है0 किस्त गै. मु. रास्ता निकला हुआ हैं प्रार्थीया की खातेदारी भूमि व ख. नं. 478 गै. मु. रास्वे के बीच ख. नं. 477 रकबा 0.22 ह0 किस्म बारानी सिवायचक काबिल काश्त भूमि है जिस पर हीरालला पुत्र बिरधा मीणा निवासी बाजोली का कब्जा काश्त हुँ उक्त

सिवायचक ख. नं. 477 की पश्चिमी सीमा जिसे लाल स्याही से ट्रेस नक्शा में अंकन किया गया है में से प्रार्थीया 6 x 20 मीटर का रास्ता चाहती है जिसको संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक रासता नहीं है। प्रार्थी को अपने खेते में जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 68 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर कुल 272 वर्गमीटर है। आवेदक की आराजी खातेदारी में दर्ज है। रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना जैसे पेड़, दीवार नहीं है। मौका रिपोर्ट के साथ मूल ट्रेस नक्शा, जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां, डीएलसी की प्रमाणित प्रति संलग्न कर प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की है।

पत्रावली बहस में नियत की गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की आराजी और गै. मु. रास्ता बड़ाली से बाजोली के सिवायचक भूमि है जिस पर हीरालाल का कब्जा काश्त होने से प्रार्थी को अपनी आराजी में काश्त करने हेतु नहीं जाने देता है। तहसीलदार ने भी अपनी रिपोर्ट में रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक बताई है और अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बताया है। अतः न्यायालय प्रार्थना पत्र अनुसार रास्ता तरमीम करवाये। इसके लिए नियमानुसार प्रार्थी प्रतिकर राशि जमा करवाने के लिए तैयार है।

पत्रावली का अवलोकन किया और अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि प्रार्थीया अपनी आराजी भूमि ख. नं. 476 रकबा 1.17 है0 में अपने पूर्वजो के समय से ही ख. नं. 477 रकबा 0.20 है0 जो कि सिवायचक दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, में से होकर आते जाते रहे है और वर्तमान में भी आती जाती है। अर्थात जब वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तो सुखाचार व सुविधा के लिए धारा 251 ए के अन्तर्गत रास्ते का कोई प्रावधान नहीं है। यदि सिवायचक मे से होकर अपनी जौत में जाने हेतु पहले से ही वैकल्पिक रास्ता है और अतिक्रमी हीरालाल ने बन्द कर दिया है तो उसके लिए तहसीलदार दूनी के यहां अन्तर्गत धारा 251 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए। अतः प्रार्थीया की भूमि और गै. मु. रास्ते के बीच सिवायचक भूमि होने से वैकल्पिकर रास्ता होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 17.09.19 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली